राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 787/2015/हनुमानगढ़

मैसर्स रिद्धी सिद्धी कारपोरेशन,
भादरा। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, वृत–बी, बांसवाड़ा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 14.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत–बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 51,000/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी वाहन संख्या आर.जे. जी.ए. 3914 की चैकिंग की गई। जांच अधिकारी द्वारा लदे माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक की ओर से केवल बिल्टियां प्रस्तुत की गई। वाहन चालक/मालप्रभारी से पूछताछ पर वाहन में उक्त घोषित माल के अलावा को कोई अन्य दस्तावेज होना जाहिर नहीं किया, संदेह होने पर वाहन धारा 76(5)(ए) अधिनियम, 2003 के तहत डिटेन किया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उक्त वाहन में लदे माल सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, उक्त कमियों/अनियमितताओं के लिये अपीलार्थी पर धारा 76(6) के तहत माल कीमतन 51,000/– रूपये पर 30 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई। आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वक्त चैकिंग वाहन के साथ बिल संलग्न नहीं था, नोटिस के जवाब में अपीलार्थी ने जवाब पेश किया कि ट्रांसपोर्टर की भूल के कारण बिल माल के साथ संलग्न नहीं था। व्यवहारी की ओर से माल बुक करवाते समय एवं माल रवाना करने तक कोई बिल नहीं दिया गया। माल बुक के समय बिल्टी पर रिप्लेसमेन्ट लिखा है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने करचोरी की नियत से मिथ्या/गलत घोषणा कर माल वापसी बिल्टी पर अंकित किया है माल के जांच होने पर शास्ति से बचने के लिये परिवहनित माल को बिक्री होना जाहिर किया है परन्तु यह बिल बिल्टी के साथ लगाकर नोटिस के पश्चात पेश किया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। धारा 76(2) के तहत माल का बिल परिवहन के समय साथ होना आवश्यक है। यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्ड. बनाम सीटीओ से आच्छादित है।

समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपूर्ण दस्तावेजों से माल परिवहनित कर आरवेट एक्ट 76(2) एवं नियम 54(1) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन किया है। सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णरुप से विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखी जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य